कार्यालय अंचल अधिकारी, विशुनपुर।

पत्रांक 87(ii)/रा०

प्रमाण पत्र

दिनांक 24.02.15

1. प्रमाणित किया जाता है सी० आर० पी० एफ० कैम्प [illegible] परियोंजना के लिये प्रस्तावित रकवा 4.00 (चार) एकड़ (भूमि कि विस्तृत विवरणी अलग से संलग्न है) वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रकिया पूर्ण ककर ली गई है। इस संबंध में की गई बैढक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र मे पडने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया । परियोंजना की विस्तृत विवरण तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति अस्थानिय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्युनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार (वन अधिकारों कि मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा – 3 (1) (म) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वालि सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा – 3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

राजस्व कर्मचारी	अंचल निरीक्षक	अंचल अधिकारी, विशुनपुर

24.2.15

पुलिस अधीक्षक गुमला 11/4/15

उपायुक्त गुमला